<u>प्रकरण संख्या 92/2024 श्रीमती सुशीला बनाम देवीलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 7327, 7328, 7331, 7332, 7370, 7375 किता 6 रकबा 0.5250 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का संयुक्त रूप से 3/8 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 से 17 का 7/64 वां हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 18 का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 11 से 17 हैं, जिसमें उसका 1/64 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि को विकसित करने में परेशानी आती है। अतः विवादित आराजीयात का वाद पत्र की कलम संख्या 2 में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 23.11.2022 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.05.2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमशंकर यादव उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल टांक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:24 IST
Reason: SelfAttested

किया कि अपीलान्ट के पिता कालूलाल जी द्वारा छोड़ी गयी विरासत की वाद वर्णित आराजियात में प्रार्थीया/अपीलान्ट कालूलाल की जाईन्दा पुत्री होने से उसका भी जन्म से हक व अधिकार है, किन्तु वादी ने दुरभिसंधि के कारण उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट कालूलाल की जाईन्दा पुत्री होने से विरासत से उसका भी हक अधिकार है, किन्तु जिस वक्त वाद प्रस्तुत किया गया था उस वक्त अपीलान्ट द्वारा हकत्याग करने की बात चल रही थी, इस कारण अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है तो रेस्पोन्डेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थीया कालूलाल की पुत्री होना स्पष्ट है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट/प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बताया गया था, जिससे उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीया पक्षकार नहीं थी तथा उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:24 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार कालूलाल की जाईन्दा पुत्री है, जिससे विवादित आराजियात में उसका भी हक हिस्सा निहित है, किन्तु वादी ने अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस से सहमति प्रकट की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार कालूलाल की जाईन्दा पुत्री होने के संबंध में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गयी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी। न्यायहित में हम अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 56/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार संस्थित कर तथा उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:24 IST
Reason: SelfAttested